प्रेस नोट **दिनांक 13.07.2026**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण –

1. थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त पवन मिश्रा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा निवासी नरायनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

तेज गति से वाहन चलाकर हुड़दंग मचाने वाले 15 शोहदें/मनचले गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा यातायत को सुगम बनाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला की एण्टी रोमियो टीम व थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान तेज गति से वाहन चलाने व हुड़दंग मचाने वाले 15 शोहदो/मनचलों को हिरासत में लेकर नियमानुसार वाहनो का चालान करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी ।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 16,000/-रुपये कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/07/2026 को थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित राकेश राजभर निवासी मीरपुर इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मोबाइल सैंमसंग कीमत लगभग 16500/- रुपये की साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

नौकरी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देश में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल, थाना साइबर क्राइम व थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की गठित टीम के द्वारा NCRP PORTAL पर प्राप्त कुल 05 शिकायतों के सम्बन्ध में हॉटस्पाट लोकेशन के आधार पर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2026 धारा 318(4) BNS व 66D IT ACT के क्रम में पुलिस टीम द्वारा मुकदमें में प्रकाश में आये एक नफर शातिर अभियुक्त को योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अनुराग जायसवाल पुत्र अनिल जायसवाल निवासी मुहल्ला काजीटोला वलीदपुर थाना मु०बाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष

अपराध का तरीका-

ऑनलाईन नौकरी का झांसा देकर इन्स्टाग्राम व अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म से लोगों के सम्पर्क में आकर उनसे UPI APP के माध्यम से रुपये प्राप्त करना। इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा करीब 5 पीड़ितों से फ्रॉड किया जाना पाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 226/2026 धारा 318(4) BNS व 66D IT ACT थाना मु०बाद गोहना जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद रियल मी मोबाईल।

आमजन मानस से अपील व साइबर अपराध से बचाव के तरीके-

किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर लोकलुभावने पैसा कमाने का आफर देखर लालच में ना पड़े भारत सरकार द्वारा पैसो से सम्बंधित गेमिंग एप को पुरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है लिंक के माध्यम से प्राप्त गेमिंग एप से आप का खाता फ्रीज हो सकता है तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यावाही भी हो सकती है।

अपने नाम से खाता खुलवाकर किसी भी साइबर अपराधियो को कमिशन के लालच में ना दे।

किसी भी प्रकार के साइबर अपराध होने पर तत्काल 1930 पर आनलाइन शिकायत करें, अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें तथा अपने नजदीकी थाने पहुँच कर शिकायत दर्ज करायें।

सर्तक रहें, जागरूक रहे।

थाना दक्षिणटोला साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 11190-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष दक्षिणटोला के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, इस्लामुद्दीन पुत्र एजाजुद्दीन निवासी डोमनपुरा जनपद मऊ की 11190 रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना दक्षिणटोला में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 11190/- रुपये वापस कराया गया।